रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 58] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 28, 2015/माघ 8, 1936
No. 58] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 28, 2015/MAGHA 8, 1936

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2015

सा.का.नि. 60(अ).—गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन का प्रतिषेध) अधिनियम,1994 (1994 का 57) की धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद् द्वारा गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन का प्रतिषेध) नियम, 1996 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है:-

1. (1) इन नियमों को गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन का प्रतिषेध) संशोधन नियमावली, 2015 कहा जाएगा ।

   (2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन का प्रतिषेध) नियमावली, 1996 के नियम 18-क, के उप-नियम (4) के खंड (ii) में निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"(ii) यह सुनिश्चित करें कि यदि उक्त अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के किसी प्रावधान के उल्लंघन हेतु आवेदक के विरूद्ध कोई मामला किसी भी न्यायालय में लंबित हो, तो नए पंजीकरण या पंजीकरण के नवीकरण हेतु कोई आवेदन स्वीकार न किया जाए"।

[फा. सं. डब्ल्यू. 12017/15/2014-पीएनडीटी]

डॉ. राकेश कुमार, संयुक्त सचिव

नोट: मूल नियमों को भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में दिनांक 1 जनवरी, 1996 को सा.का.नि. 1 (अ) द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् इसमें निम्नलिखित संशोधन किए गए थे:-

1. सा.का.नि. 109 (अ) दिनांक 14 फरवरी, 2003;
2. सा.का.नि. 426 (अ) दिनांक 31 मई, 2011;
3. सा.का.नि. 80 (अ) दिनांक 7 फरवरी, 2012;
4. सा.का.नि. 418 (अ) दिनांक 4 जून, 2012;

5. सा.का.नि. 13 (अ) और 14 (अ) दिनांक 9 जनवरी, 2014;
6. सा.का.नि. 77 (अ) दिनांक 31 जनवरी, 2014; और
7. सा.का.नि. 119 (अ) दिनांक 24 फरवरी, 2014

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th January, 2015

G.S.R. 60(E).—In exercise of the powers conferred by Section 32 of the Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 (57 of 1994), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Rules, 1996, namely :—

1. (1) These rules may be called the Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Amendment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Rules, 1996, rule 18-A, sub-rule (4) in clause (ii), the following shall be substituted, namely:—

"(ii) ensure that no application for fresh registration or renewal of registration is accepted if any case is pending in any court against the applicant for violation of any provision of the Act and the rules made thereunder".

[F. No. W.12017/15/2014-PNDT]

Dr. RAKESH KUMAR, Jt. Secy.

Note: - The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* G.S.R 1(E), dated the 1st January, 1996 and subsequently amended *vide*:—

1. G.S.R 109 (E), dated the 14th February, 2003;
2. G.S.R 426 (E), dated the 31st May, 2011;
3. G.S.R 80 (E), dated the 7th February, 2012;
4. G.S.R 418 (E), dated the 4th June, 2012;
5. G.S.R. 13(E) & 14(E), dated 9th January, 2014;
6. G.S.R. 77 (E), dated 31st January, 2014 and
7. G.S.R. No. 119(E), dated 24th February, 2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.